न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1166–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–2007 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 368/2005–06 अपील

बटेश्वर दयाल (मृत) पुत्र छोटेलाल
वारिस
1– श्रीमती इन्द्राणी पत्नि स्व0बटेश्वर दयाल
2– राजेन्द्रप्रसाद 3– अरबिन्दकुमार 4– दिलीप
5– धीरज चारों पुत्र स्व. स्व0बटेश्वर दयाल
सभी निवासी 32 बनखण्डेश्वर कालोनी भिण्ड
6– श्रीमती शशिवाला पत्नि स्व.एच.एन.त्रिवेदी
निवासी पन्ना नाका सतई रोड छतरपुर
7– श्रीमती सुमन मिश्रा पत्नि अरबिन्द
निवासी इन्कमटैक्स कालोनी भोपाल
8– श्रीमती मीना अवस्थी पत्नि विश्वेश्वरदत्त
व्दारका कालोनी नई दिल्ली -----आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेन्द्र बाबू मिश्रा 2– बीरेन्द्रवावू मिश्रा
3– रबिन्द्रवावू मिश्रा पुत्रगण स्व.रसिकलाल मिश्रा
4– विजयशरण मिश्रा 5– अभयशरण मिश्रा
6– अजयशरण मिश्रा 7– अवधेश शरण मिश्रा
8– डा0अखलेश शरण मिश्रा सभी पुत्रगण रामचन्द्र
10– श्रीमती शकुन्तला पत्नि स्व. रामचन्द्र मिश्रा
11– विवेक त्रिपाठी पुत्र राममोहन त्रिपाठी
12– श्रीमती शांतिदेवी पत्नि मंगल तिवारी
13– श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि गिरीशचन्द्र द्विवेदी
14– श्रीमती उषादेवी पत्नि सुरेश तिवारी
समस्त निवासी बनखण्डेश्वर कालोनी रोड भिण्ड ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक ~~-12-~~2015 को पारित)
14-12-2015

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 368/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–5–2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि सुरेशबाबू मिश्रा ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम मनपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 188 रकबा 0.773 हैक्टर पर उसके पिता स्व. रसिकलाल मौरूषी कृषक दर्ज हैं उसके वाद मैं तथा मेरे दो भाई उनके बैध वारिस होकर खेती कर रहे हैं इसलिये स्व. रसिकलाल के स्थान पर हम तीनों बैध वारिसान का नाम इन्द्राज किया जावे। सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 48/93-94 अ-6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की, इसी दरम्यान बंदोवस्त कार्यवाही समाप्त होने पर प्रकरण तहसीलदार भिण्ड के न्यायालय को अंतरित हुआ । तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 25/95-96 अ-6 दर्जकर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 17-2-98 पारित किया तथा अनावेदक क्र-1 से 3 एंव महिला जमुनादेवी पत्नि स्व. रसिकलाल का नाम अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 28/04-05 होने पर आदेश दिनांक 29-5-06 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क. 368/ 05-06 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 25-5-2007 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न खसरा की छायाप्रति के अनुसार बंदोवस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 39/1

बंदोवस्त के वाद नवीन नंबर 188 रकबा 0.773 हैक्टर पर कृषक के कालम में रसकलाल फोत पुत्र धनीराम जाति ब्रा. निवासी भिण्ड मौरूषी कृषक दर्ज है और इस कृषक के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी दिनांक 20.4.75 को मृत्यु हुई है, तब मृतक खातेदार रसकलाल के स्थान पर उसके विधिक वारिसान का नाम आयेगा जो कि अनावेदक कमांक एक लगायत तीन एंव उनकी मॉ श्रीमती जमुनादेवी पत्नि स्व. रसिकलाल हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण कमांक 25/95-96 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 17-2-98 से मृतक खातेदार के विधिक वारिसान का नाम इन्द्राज करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने अपील कमांक 28/04-05 में पारित आदेश दिनांक 29-5-06 में तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने अपील क. 368/ 05-06 में पारित आदेश दिनांक 25-5-2007 में तहसीलदार भिण्ड के आदेश को उचित होना माना है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होना पाये गये हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 368/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-5-2007 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर